AMAR UJALA, Aligarh, 4.5.2024
Page No. 2, Size:(15.80)cms X (3.45)cms.

एएमयू में कुत्तों के हमले में गई थी बुजुर्ग की जान, 7.5 लाख के मुआवजे का निर्देश

एनएचआरसी ने कहा-विवि परिसर की घटना अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कुत्तों के हमले में 65 वर्षीय एक बुजुर्ग की मौत की मामले में अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही, मृत बुजुर्ग के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश भी दिया।

एनएचआरसी पिछले साल अप्रैल की घटना की जांच कर रहा था, जिसमें सड़क के कुछ कुत्तों ने एएमयू परिसर में सफदर अली खान पर उस समय हमला कर दिया था जब वह पार्क में सुबह की सैर कर रहे थे। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो गया था। आयोग ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने यूपी के मुख्य सचिव को भेजे पत्र में कहा कि सरकार खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का भुगतान करे।

बयान के मुताबिक, आयोग ने मुआवजे के भुगतान के निर्देश पर अमल के संबंध में आठ हफ्ते में रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग ने 17 अप्रैल 2023 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था और यूपी के मुख्य सचिव, एएमयू के वीसी और अलीगढ़ नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। बयान के मुताबिक, राज्य सरकार से यह सूचित करने की अपेक्षा थी कि क्या मृतक के परिजनों को कोई राहत दी गई। एजेंसी

जिम्मेदारी टालते रहे अधिकारी : बयान के मुताबिक, कारण बताओ नोटिस में मुख्य सचिव से पूछा गया था कि क्यों न मृतक के परिजनों को 7.5 लाख रुपये के भुगतान की सिफारिश की जाए। हालांकि, संबंधित अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रार का एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में ऐसा कोई निर्देश नहीं है जिसका विश्वविद्यालय को पालन करना चाहिए। निश्चित तौर पर संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारी टाल रहे थे। इसलिए, आयोग ने माना कि लोक सेवक की लापरवाही के कारण पीड़ितों को आयोग की सिफारिश से मिलने वाले लाभ के भुगदात से वंचित नहीं किया जा सकता।

DAINIK JAGRAN, Rastriya Sanskaran, 4.5.2024
Page No. 13, Size:(6.65)cms X (18.97)cms.

'एएमयू में हुए कुत्ते के हमले में थी अधिकारियों की लापरवाही'

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि गत वर्ष अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में कुत्ते के हमले से 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत के मामले में अधिकारियों की लापरवाही थी। आयोग ने मृतक के आश्रित को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि प्रदान किए जाने की सिफारिश की है। गत वर्ष अप्रैल में सफदर अली खान एएमयू परिसर स्थित पार्क में सुबह की सैर पर निकले थे।

इस दौरान सड़क के कुत्तों के एक झुंड ने उन्हें मार डाला था। घटना की वीडियो इंटरनेट मीडिया पर खूब प्रसारित हुई थी। मानवाधिकार आयोग ने घटना में अधिकारियों की लापरवाही मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव से मृतक के आश्रित को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने को कहा है। इसके साथ ही आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से भुगतान के प्रमाण की अनुपालन रिपोर्ट भी आठ सप्ताह में मांगी है।

बता दें कि आयोग ने गत 17 अप्रैल 2023 को मीडिया रिपोर्टों का संज्ञान लेकर स्वतः मामला दर्ज किया था और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, एएमयू के कुलपति और अलीगढ़ नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी कर घटना की विस्तृत रिपोर्ट तलब की थी।

NHRC finds negligence of authorities in dog attack case at AMU, recommends relief of Rs 7.5 lakh

https://www.telegraphindia.com/india/nhrc-finds-negligence-of-authorities-in-dog-attack-case-at-aligarh-muslim-university-recommends-relief-of-rs-7-5-lakh/cid/2017460

There is no commission of violation of human rights or negligence in the prevention of violation of human rights and abetment on the part of the university, it said, quoting the response of authorities to its notice

The NHRC on Friday said it has found "negligence" by authorities in a stray dog attack incident that took place last year on Aligarh Muslim University (AMU) campus that killed a 65-year-old man.

In a statement, the National Human Rights Commission said it has recommended payment of a relief amount of Rs 7.5 lakh to the next of kin of the victim.

Safdar Ali Khan was mauled to death by a pack of street dogs when he was out on a morning walk in a park inside the AMU campus last year in April.

The incident was widely reported and a video of it also went viral on social media.

The NHRC "finds negligence of the authorities" in last year's stray dog attack resulting in the death of a person at the AMU campus in Uttar Pradesh, the rights panel said in the statement.

The NHRC has asked UP government, through its chief secretary, that it pay Rs.7.5 lakh to the next of kin of Khan, it said.

A compliance report of the proof of payment has also been sought within eight weeks, the statement said.

The commission had registered a suo motu case based on a media report dated April 17, 2023 about the incident and issued the notices to the chief secretary, government of Uttar Pradesh, the vice-chancellor, Aligarh Muslim University, and the commissioner, Aligarh Municipal Corporation seeking a detailed report on the incident.

The state government was expected to inform whether any relief had been given to the next of kin of the deceased, the statement said.

Based on the material on record received in response from the authorities concerned, the commission had issued a notice to the chief secretary to show cause why Rs 7.5 lakh should not be recommended to be paid as monetary relief to the next of kin of the victim, it added.

However, the authorities concerned forwarded a letter from the registrar of the AMU, stating that the notice of the Commission "does not contain any instruction the university must comply with," the statement said.

There is no commission of violation of human rights or negligence in the prevention of violation of human rights and abetment on the part of the university, it said, quoting the response of authorities to its notice.

The commission noted that the authorities were "apparently passing the buck in the matter".

"Therefore, it observed that the benefits arising from the order cannot be denied to the victims of a violation of human rights by the authority due to an act of negligence and abetment by the public servant.

"Accordingly, it confirmed the amount of relief of Rs 7.5 lakh as mentioned in its show cause notice recommending that it has to be paid to the victim's next of kin," it added.

AMU DOG ATTACK CASE: NHRC RECOMMENDS RELIEF OF RS 7.5 LAKH FOR VICTIM'S KIN

https://globalgreenews.com/2024/05/03/amu-dog-attack-case-nhrc-recommends-relief-of-rs-7-5-lakh-for-victims-kin/

National Human Rights Commission today recommended the Uttar Pradesh government to pay 7.5 lakh rupees to the kin of the person who was mauled to death by stray dogs in the Aligarh Muslim University campus in April last year.
The Commission said that it found negligence of the authorities in the matter. NHRC further asked the authorities to submit a compliance report as proof of payment within eight weeks.
The Commission noted that the concerned authorities were apparently passing the buck in the matter.

आवारा कुत्तों ने घेरकर बुरी तरह काटा..., अब मिलेगा 7.5 लाख रुपये का मुआवजा

https://hindi.news18.com/news/nation/a-person-died-in-attack-by-stray-dogs-in-amu-now-a-compensation-of-rs-over-7-lakh-ordered-by-nhrc-8290951.html

नई दिल्ली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को कहा कि उसने पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में हुए एक आवारा कुत्तों के हमले की घटना में अधिकारियों की लापरवाही पाई है. जिसमें 65 साल के एक शख्स की मौत हो गई थी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने पीड़ित के परिजनों को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की है. गौरतलब है कि सफदर अली खान को पिछले साल अप्रैल में सुबह की सैर के दौरान एएमयू परिसर के अंदर एक पार्क में आवारा कुत्तों के झुंड ने मौत के घाट उतार दिया था. इस घटना की व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ था.

आयोग ने बयान में कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उत्तर प्रदेश के एएमयू परिसर में पिछले साल हुए आवारा कुत्तों के हमले में "अधिकारियों की लापरवाही" मिली है, जिसके कारण एक शख्स की मौत हो गई. एनएचआरसी ने यूपी सरकार को अपने मुख्य सचिव के माध्यम से खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये देने को कहा है. बयान में कहा गया है कि भुगतान के प्रमाण की रिपोर्ट भी आठ हफ्ते के भीतर मांगी गई है. आयोग ने घटना के बारे में 17 अप्रैल 2023 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था. इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और अलीगढ़ नगर निगम के आयुक्त को विस्तृत रिपोर्ट मांगते हुए नोटिस जारी किए थे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार से यह बताने की उम्मीद थी कि मृतक के परिजनों को कोई राहत दी गई है या नहीं. संबंधित अधिकारियों से मिले जवाब के आधार पर हासिल सामग्री के आधार पर आयोग ने मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया था कि पीड़ित के परिजनों को राहत के रूप में 7.5 लाख रुपये की राशि देने की सिफारिश क्यों न की जाए. हालांकि संबंधित अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रार का एक पत्र आगे भेजा, जिसमें कहा गया है कि आयोग के नोटिस में कोई निर्देश नहीं है, जिसका पालन विश्वविद्यालय को करना चाहिए.

एनएचआरसी ने यूपी सरकार से कहा, कुत्तों के हमले में जान गंवाने वाले को मिले मुआवजा

https://www.hindusthansamachar.in/Encyc/2024/5/3/Instructions-given-to-UP-government-to-give-Rs-7-5-lakh.php

नई दि ल्ली, 3 मई (हि.स.)। राष्ट्री य मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से आवारा कुत्तों के हमले में मारे गए सफदर अली खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का निर्देश दिया है। पिछले साल अप्रैल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में खान की हिंसक आवारा कुत्तों के हमलों में मौत हो गई थी। एनएचआरसी ने शुक्रवार को जारी दिशा निर्देश में आठ सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने घटना के बारे में 17 अप्रैल की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया था। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कुलपति और अलीगढ़ नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी। आयोग ने यह भी पूछा था कि राज्य सरकार से यह सूचित करने की अपेक्षा की गई थी कि क्या मृतक के निकटतम परिजनों (एनओके) को कोई राहत दी गई ।

आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा कि मृतक के परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। इसके बाद संबंधित अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रा र का एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में ऐसा कोई निर्देश नहीं है जिसका विश्वविद्यालय को पालन करना चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से मानव अधिकारों के उल्लंघन या मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही का कोई कार्य नहीं है। जवाब मिलने के बाद आयोग ने कहा था कि संबंधित अधिकारी स्पष्ट रूप से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को आयोग की सिफारिश से भुगतान किए जाने वाले लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसी संदर्भ में आयोग ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि मृतक के निकटतम रिश्तेदार को भुगतान करने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि 65 वर्षीय सफदर अली खान पर गली के कुत्तों के झुंड ने उस समय हमला कर दिया था जब वह सुबह की सैर के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर के अंदर एक पार्क में थे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। हिन्दुस्थान समाचार/ बिरंचि सिंह/अनूप

देश की खबरें | आयोग ने कुत्ते के हमले मामले में सरकार से की मृतक के परिजन को 7.5 लाख रुपये देने की सिफारिश

https://hindi.latestly.com/agency-news/the-commission-recommended-the-government-to-give-rs-7-5-lakh-to-the-family-of-the-deceased-in-the-dog-attack-case-2152434.html

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में आवारा कुत्तों के हमले की घटना में अधिकारियों की ‘‘लापरवाही’’ की बात सामने आई है। कुत्तों के हमले में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

नयी दिल्ली, तीन मई राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में आवारा कुत्तों के हमले की घटना में अधिकारियों की ‘‘लापरवाही’’ की बात सामने आई है। कुत्तों के हमले में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने मृतक के परिजन को 7.5 लाख रुपये राहत राशि के तौर पर देने की सिफारिश की है।

पिछले साल अप्रैल में सफदर अली खान एएमयू परिसर के अंदर एक पार्क में सुबह की सैर पर थे तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उनपर हमला कर दिया था। इस हमले में उनकी मौत हो गई थी।

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ था।

आयोग ने बयान में कहा कि एनएचआरसी ने पिछले साल आवारा कुत्तों के हमले के मामले में ‘‘अधिकारियों की लापरवाही पाई है"।

बयान में कहा गया है कि आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये दे। इसके साथ ही आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

आयोग ने इस घटना पर 17 अप्रैल 2023 की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और अलीगढ़ नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया था।

HINDU, Delhi, 4.5.2024
Page No. 4, Size:(5.38)cms X (5.16)cms.

AMU dog attack: U.P. govt. told to pay ₹7.5 lakh to kin

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday asked the Government of Uttar Pradesh, through its Chief Secretary, to pay ₹7.5 lakh to the next of kin of Safdar Ali Khan who was mauled to death by stray dogs in the Aligarh Muslim University campus (AMU) in April 2023. Sixty-five-year-old, Mr. Khan was mauled by a pack of street dogs when he was in a park inside the campus for a morning walk. The incident was widely reported and a video of it also went viral. The Commission had filed a suo motu case about the incident. The Commission has also asked for a compliance report of the proof of payment within eight weeks.

HINDU, Mumbai, 4.5.2024
Page No. 4, Size:(4.66)cms X (4.37)cms.

AMU dog attack: U.P. govt. told to pay ₹7.5 lakh to kin

The National Human Rights Commission (NHRC) on Friday asked the Government of Uttar Pradesh, through its Chief Secretary, to pay ₹7.5 lakhs to the next of kin of Safdar Ali Khan who was mauled to death by stray dogs in the Aligarh Muslim University campus (AMU) in April 2023. Sixty-five-year-old, Mr. Khan was mauled by a pack of street dogs when he was in a park inside the Campus for a morning walk. The incident was widely reported and a video of it also went viral. The Commission had filed a suo motu case about the incident. The Commission has also asked for a compliance report of the proof of payment within eight weeks.

NHRC directs UP Govt to compensate family of sexagenarian killed by stray dogs in 2023

https://www.uniindia.com/news/india/nhrc-up-rpt/3192119.html

New Delhi, May 3 (UNI) National Human Rights Commission (NHRC) on Friday directed the Uttar Pradesh government to pay Rs 7.5 lakh to the kin of a victim who was mauled to death by stray dogs in the Aligarh Muslim University campus in April last year. The commission said it found negligence of the authorities in the matter, therefore it directed the Chief Secretary of Uttar Pradesh to pay Rs 7.5 lakh to the next of kin of victim Safadr Ali Khan. “The Commission had registered a suo motu case based on a media report dated 17th April 2023 about the incident and issued the notices to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, the Vice-Chancellor, Aligarh Muslim University, and the Commissioner, Aligarh Municipal Corporation calling for a detailed report in the matter,” the NHRC said.

The State Government was expected to inform whether any relief had been given to the deceased's Next of Kin. Based on the material on record received in response from the concerned authorities, the Commission had issued a notice to the Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh to show cause why Rs 7.5 lakh should not be recommended to be paid as monetary relief to the next of kin of the victim, it said.

However, the concerned authorities forwarded a letter from the Registrar, AMU stating that the notice of the Commission does not contain any instruction the university must comply with. There is no commission of violation of human rights or negligence in the prevention of violation of human rights and abetments on the part of the university, the NHRC said. The Commission noted that the concerned authorities were apparently passing the buck in the matter. Therefore, it observed that the benefits arising from the order cannot be denied to the victims of a violation of human rights by the authority due to an act of negligence and abetment by the public servant. Accordingly, it confirmed the amount of relief of Rs 7.5 lakh as mentioned in its show cause notice recommending that it has to be paid to the victim’s next of kin, the NHRC said. A 65-year-old, Safadr Ali Khan was attacked to death by a pack of street dogs when he was out in a park inside Aligarh Muslim University (AMU) Campus for a morning walk last year in April.

The incident was widely reported and a video of it also went viral on social media

DAINIK JAGRAN, Aligarh, 4.5.2024
Page No. 4, Size:(13.77)cms X (6.75)cms.

'एएमयू में हुए कुत्तों के हमले में थी अधिकारियों की लापरवाही'

- आयोग ने भुगतान के प्रमाण सहित सरकार से रिपोर्ट भी मांगी
- 16 अप्रैल 2023 को हुई थी घटना, आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था

जासं, अलीगढ़ : अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) में पिछले वर्ष कुत्तों के हमले से यूनिसेफ से सेवानिवृत्त डा. सफदर अली खान की मौत के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के मुख्य सचिव ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है। इसमें कहा गया है कि पीड़ित स्वजन को मुआवजे के तौर पर आठ हफ्ते के अंदर 7.5 लाख रुपये भुगतान करें। साथ ही भुगतान के प्रमाण सहित रिपोर्ट भी मांगी है। पूरे मामले में आयोग ने एएमयू के प्रशासनिक और नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही बताई है।

डा. सफदर अली खान मूलरूप से कासगंज जिले की तहसील पटियाली के गांव भरगैन के रहने वाले थे। उन्होंने एएमयू के तिब्बिया कालेज से बीयूएमएस किया था। चार वर्ष पहले कासगंज में यूनिसेफ के जिला समन्वयक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। यहां मेडिकल रोड स्थित दोदपुर में कफील मंजिल में रह रहे थे। हर रोज की तरह 16 अप्रैल 2023 को वे एएमयू के सर सैयद हाउस लान में टहल रहे थे। तभी आवारा कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया था। रमजान के चलते लान में कोई नहीं था। काफी देर बाद उन पर हमले की जानकारी हो सकी। वे मृत थे। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पता चला कि कुत्तों ने हमला किया। जगह-जगह से उन्हें कुत्तों ने नोंच लिया था। यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ था। 17 अप्रैल को एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, एएमयू के कुलपति और नगर आयुक्त को नोटिस जारी किया गया था। इस मामले में रिपोर्ट मांगी थी कि स्वजन को कोई राहत दी गई है या नहीं। संबंधित अधिकारियों से मिले जवाब के आधार पर आयोग ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि स्वजन को राहत के रूप में 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश क्यों न की जाए। संबंधित अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रार को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिसका विश्वविद्यालय को पालन करना चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही का कोई मामला नहीं है। ताजे आदेश के संबंध में आयोग के मीडिया और संचार उप निदेशक जैमिनी कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारी स्पष्ट रूप से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं। लोक सेवक की लापरवाही के कारण पीड़ितों को मिलने वाले लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता।

बैंक डिटेल्स लीं, पर मुआवजा नहीं मिला

इस घटना का जिक्र करते ही डा. सफदर के भाई इफ्तिखार खान भावुक हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने मुआवजे के निर्देश दिए थे। हम नगर निगम के अधिकारियों के संपर्क में रहे। नगर निगम का स्टाफ उनके घर जनवरी में आया था। उनसे आधार कार्ड और बैंक की डिटेल्स ले गए थे। हमने सोचा था कि मुआवजा मिल जाएगा लेकिन, अभी तक नहीं मिला। अब जल्द अधिकारियों से मिलेंगे।

यह मामला पुराना है। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग के आदेश की जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं है। इस मामले में लीगल सेल से बात कर जानकारी दे पाएंगे।

प्रो. एम वसीम अली, प्राक्टर, एएमयू

अप्रैल 2023 में घटना हुई थी, मई में ही शासन को विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई थी। मृतक के स्वजन से आधार व बैंक डिटेल आदि की जानकारी लेकर शासन को भिजवाई जा चुकी है।

राकेश कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त

NHRC ने कुत्ते हमले मामले में सरकार से की सिफारिश, मृतक परिजन को दिए जाए 7.5 लाख रुपये

https://www.republicbharat.com/india/nhrc-recommended-government-dog-attack-case-lakh-should-given-family-deceased/

एनएचआरसी ने कहा कि पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में आवारा कुत्तों के हमले की घटना में अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है।

NHRCNews:राष्ट्री य मा नवा धि का रआयो ग (एनएचआरसी) नेशुक्रशु वा रको कहा कि पि छले सा ल अली गढ़ मुस्लिमुस्लिम वि श्ववि द्या लय (एएमयू)यूपरि सर में आवा राकुत्तों केहमलेकी घटना में अधि का रि यों की ‘‘ला परवा ही ’’की बा त सा मनेआई है।है कुत्तों केहमले में 65 वर्षी य एकव्यक्ति की मौ त हो गईथी ।

आयो ग ने एकबया न मेंकहा कि उसने मृतमृ ककेपरि जनको 7.5 ला खरुपये रा हत रा शि केतौ र पर देनेकी सि फा रि शकी है।है पि छले सा ल अप्रैलप्रै में सफदर अलीखा न एएमयू परि सरकेअंदअं र एकपा र्कमें सुबसुहकी सैरसै परथेतभी आवा रा कुत्तों केएकझुंडझुं ने उनपर हमला करदि या था । इस हमले में

इस घटना का एकवी डि यो भी सो शल मी डि या पर सा र्वजर्व नि कहुआथा ।आयो ग ने बया न मेंकहा कि एनएचआरसी ने पि छले सा लआवा रा कुत्तों केहमले केमा मलेमें‘‘अधि का रि यों की लापरवा ही पा ई है"है। बया न मेंकहा गया है कि आयो ग ने उत्तर प्रदेशदे सरका र सेकहा है कि वहखा नकेपरि जनों को 7.5 ला ख रुपये दे।दे इसकेसा थही आठ सप्ता हकेभी तर भुगभुता नकेप्रमा ण पेशपे करनेकेभी नि र्देशर्दे दि ए गए हैं।

आयो ग ने इस घटना पर17 अप्रैलप्रै 2023की मी डि या रि पो र्टकेआधा र परस्वत: संज्ञासं ज्ञान लेतेले तेहुए मा मला दर्जकि या था और उत्तर प्रदेशदे सरका रकेमुख्यमु सचि व, अलीगढ़ मुस्लिमुस्लिम वि श्ववि द्या लयकेकुलपति और अली गढ़ नगरनि गमआयुक्तयु को नो टि स जा री कि या था ।

अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी का कुत्तों के हमले मामले में हुआ खुलासा

https://news1india.in/aligarh-muslim-university-exposed-in-dog-attack-case/

AMU Dog Attack : पिछले साल ही अलीगढ़ (Aligarh Muslim University) से आवारा कुत्तों (AMU Dog Attack) के हमले का एक मामला सामने आया था जिसको लेकर एक नया खुलासा हुआ है इसमें एक 65 साल के बुज़ुर्ग व्यक्ति की मौत की खबर काफी चर्चा में आई थी। और इस मामले की जांच मे पुलिस भी पिछले साल से ही जुटी हुई थी और अब इसी को लेकर NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) खुलासा करते हुए बताया है कि, कुत्तों के इस हमले में व्यक्ति की मौत के पीछे अफसरों की बड़ी लापरवाही थी।

इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आगे कहा कि उस हमले में मारे गए व्यि के परिवारजनों को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि मुहैया कराने को लेकर सिफारिश की गई है। अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के भीतर कुछ आवारा कुत्तों के अचानक हमले में सफदर अली नाम के क व्यक्ति की मौत हो गई थी जिसकी उम्र 65 साल थी।

सफदर अली की मॉर्निंग वॉक के समय हुआ था हमला

पिछले साल अप्रैल के महिने में सफदर अली खान नाम का एक शख्स एएमयू परिसर के अंदर वॉक के लिए निकला था लेकिन उसी समय अचानक उस पर खूंखार कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया था। और इस पूरी घटना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ था इस मामले पर NHRC यानी राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने खुलासा करते हुए बताया है कि इस घटना के लिए वहां के कुछ अफसर ही ज़िम्मेदार थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार की ओर से यूपो सरकार को पीड़ित बुज़ुर्ग के परिवारवालों को 7.5 लाख रूपय की राहत राशि दिए जाने की भी अपील की गई है।

तमीज से बात करना सीख लो वरना ...

https://www.patrika.com/satna-news/learn-to-talk-politely-or-else-18665696

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर ने वृद्धाश्रम के कर्मचारी को लगाई फटकार

सतना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्पेशल मॉनीटर बालकृष्ण गोयल ने गुरुवार को अपने मैहर जिले के प्रवास के दूसरे दिन मां शारदा मंदिर प्रबंध समिति मैहर द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का निरीक्षण किया। यहां मिल कर्मचारी से वृद्धाश्रम को लेकर पूछा कि किस तरीके से क्या काम करते हैं। इस पर कर्मचारी ने जवाब दिया कि बुड्ढे लोग बहुत परेशान करते हैं। यह सुन गोयल भड़क गए। कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें बोलने की तमीज सीखनी चाहिए। इन्हें बुजुर्ग बोलो, बाबू जी बोलो, ये कौन सा तरीका है। ऐसे में तो तुम्हें नौकरी से निकाल देना चाहिए, क्योंकि जब सम्मान भाव नहीं है तो सेवा क्या करते होगे। वृद्धाश्रम में रहने वाले हर बुजुर्ग हमारे माता-पिता के समान है। किसी भी कर्मचारी द्वारा वृद्ध जनों के साथ किए गए दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नही किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने यहां मौजूद बुजुर्गों से बात की। इस दौरान तहसीलदार जीतेन्द्र पटेल, सीएमओ लालजी ताम्रकार मौजूद रहे।

वृद्धा की शिकायत पर सामने आया मामला

एक वृद्धा ने स्पेशल मॉनीटर से वृद्धाश्रम के कर्मचारी की शिकायत करते हुए कहा कि जब भी यहां की अव्यवस्था की शिकायत करते हैं तो इनका कहना होता है कि जो है ऐसा ही रहेगा। तुम आश्रम छोड़ कर चले जाओ। इस पर संबंधित कर्मचारी को बुलाकर जमकर फटकारा। कहा, आश्रम तुम्हारे बाप का नहीं है जो इस तरह की बात करते हो। एक बुजुर्ग ने यहीं रहने वाले दूसरे बुजुर्ग की शिकायत में बताया कि वे उसे डंडे से पीटते हैं। जिस पर स्पेशल मॉनीटर ने दोनों को बुलाया और कहा कि यदि दोबारा यहां ऐसा हुआ तो आप दोनों को अलग-अलग वृद्धाश्रमों में भेज देंगे। इसके बाद उन्होंने अपना नंबर यहां पर सभी को नोट करवाया। कहा कि कोई परेशानी हो तो मुझे फोन करें। यहां मौजूद बुजुर्गों ने बताया कि उनके पैरों में दर्द होता है जोड़ों में दर्द होता है दिखाने नहीं ले जाते हैं। इस पर सीएमएचओ को निर्देशित किया कि यहां प्रति सप्ताह वृद्धों का मेडिकल परीक्षण किया जाए। माह में एक बार विशेषज्ञ चिकित्सक जांच करें। एक वृद्धा ने पेंशन नहीं मिलने की शिकायत की। जिस पर तत्काल पेंशन जारी करने के निर्देश सामाजिक न्याय विभाग को दिए। वृद्धाश्रम प्रभारी को आश्रम में कार्यरत सभी कर्मचारियों की मेडिकल जांच और पुलिस वेरीफिकेशन कराने के आदेश दिए। वृद्धजनों को हर माह मैहर के आस पास तीर्थ दर्शन कराने कहा।

दत्तक ग्रहण देने से पहले बच्चे का मेडिकल परीक्षण कराएं

स्पेशल मॉनीटर ने सतना में मातृछाया शिशु गृह का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने कहा कि जब भी किसी बच्चे को दत्तक ग्रहण में देते हैं तो उसके पहले उस बच्चे का जिला अस्पताल में संपूर्ण मेडिकल चेकअप कराएं। ताकि अप्रिय स्थिति में बच्चे के प्रमाण आपके पास रहे। यह भी कहा कि गोद देने से पहले बच्चे की पूरी आदतें, कब सोता है, कब जागता है उसकी क्या गतिविधि है इसकी पूरी जानकारी दत्तक लेने वाले माता पिता को दें। इससे उन्हें बच्चे की और अच्छी देखभाल कर सकेंगे।

नगर निगम के पेयजल की गुणवत्ता ठीक नहीं

स्पेशल मॉनीटर ने सेन्ट्रल जेल का भी निरीक्षण किया। यहां उन्होंने नगर निगम द्वारा प्रदाय की जाने वाली जल आपूर्ति की गुणवत्ता को ठीक नहीं पाया। प्रत्येक माह बंदियों के लिए आर्थो, डेंटल और ईएनटी के डॉक्टरों से नियमित जांच कराने कहा। निर्देश दिए कि महिला बंदियों के कौशल प्रशिक्षण में दिए जाने वाले सर्टिफिकेट में सतना जेल न लिखा हो और न ही जेल अधीक्षक की सील हो। केवल अधीक्षक के नाम से जारी हो, अन्यथा मुख्य धारा में स्वीकार नहीं हो पाएंगी। महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों को लेकर कहा कि इन्हें शिशु गृह में भी रखा जा सकता है। ताकि उनपर जेल का प्रभाव न पड़े। जब महिला बंदी मुक्त हों तो वे उन्हें फिर ले जा सकती है। गोयल ने बंदियों का भोजन चखकर उसकी गुणवत्ता पर संतोष जताया। जेल की लाइब्रेरी का भी निरीक्षण किया।

AMU Dog Attack मामले में अफसर निकले लापरवाह, बुजुर्ग की हुई थी मौत; NHRC ने राज्य सरकार से की ये सिफारिश

https://headtopics.com/in/6577853268111108614 7-51915575

पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू परिसर में आवारा कुत्तों के हमले में अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है जिसमें 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एनएचआरसी ने शुक्रवार को यह खुलासा किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ित के परिजनों को 7.

पीटीआई, नई दिल्ली। पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में आवारा कुत्तों के हमले में अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है, जिसमें 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एनएचआरसी ने शुक्रवार को यह खुलासा किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ित के परिजनों को 7.

5 लाख रुपये का भुगतान करे। भुगतान के प्रमाण की अनुपालन रिपोर्ट भी आठ सप्ताह के भीतर मांगी गई है। आयोग ने घटना के बारे में 17 अप्रैल, 2023 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और आयुक्त, अलीगढ़ नगर निगम को नोटिस जारी किया था और घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार से यह सूचित करने की अपेक्षा की गई थी कि क्या मृतक के परिजनों को कोई राहत दी गई थी? संबंधित...

PIONEER (HINDI), Lucknow, 4.5.2024
Page No. 9, Size:(7.61)cms X (6.67)cms.

आयोग ने की कुत्ते के हमले मामले मे सरकार से की मृतक के परिजन को 7.5 लाख रुपए देने की सिफारिश

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में आवारा कुत्तों के हमले की घटना में अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है। कुत्तों के हमले में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उसने मृतक के परिजन को 7.5 लाख रुपए राहत राशि के तौर पर देने की सिफारिश की है। पिछले साल अप्रैल में सफदर अली खान एएमयू परिसर के अंदर एक पार्क में सुबह की सैर पर थे तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उनपर हमला कर दिया था। इस हमले में उनकी मौत हो गई थी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ था। एनएचआरसी ने पिछले साल आवारा कुत्तों के हमले के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पाई है। बयान में कहा गया है कि आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपए दे। आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं।

AMU Dog Attack मामले में अफसर निकले लापरवाह, बुजुर्ग की हुई थी मौत; NHRC ने राज्य सरकार से की ये सिफारिश

https://www.jagran.com/news/national-nhrc-finds-negligence-of-authorities-in-dog-attack-case-at-amu-recommends-relief-of-rs-7-lakh-50-thousand-23710179.html

पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में आवारा कुत्तों के हमले में अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है जिसमें 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एनएचआरसी ने शुक्रवार को यह खुलासा किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ित के परिजनों को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की गई है।

पीटीआई, नई दिल्ली। पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में आवारा कुत्तों के हमले में अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है, जिसमें 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। एनएचआरसी ने शुक्रवार को यह खुलासा किया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक बयान में कहा कि पीड़ित के परिजनों को 7.5 लाख रुपये की राहत राशि देने की सिफारिश की गई है।

मॉर्निंग वॉक पर निकले थे सफदर अली

पिछले साल अप्रैल में जब सफदर अली खान एएमयू परिसर के अंदर एक पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले थे तो उन्हें सड़क के कुत्तों के एक झुंड ने हमला कर दिया था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी। यह घटना तक चर्चा में आ गई थी, जब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

अधिकार पैनल ने बयान में कहा कि एनएचआरसी को पिछले साल आवारा कुत्तों के हमले में अधिकारियों की लापरवाही मिली, जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में एएमयू परिसर में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

NHRC ने यूपी सरकार से राशि भुगतान के लिए कहा

एनएचआरसी ने अपने मुख्य सचिव के माध्यम से यूपी सरकार से कहा है कि वह खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का भुगतान करे। भुगतान के प्रमाण की अनुपालन रिपोर्ट भी आठ सप्ताह के भीतर मांगी गई है।

आयोग ने घटना के बारे में 17 अप्रैल, 2023 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया था और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और आयुक्त, अलीगढ़ नगर निगम को नोटिस जारी किया था और घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी।

बयान में कहा गया है कि राज्य सरकार से यह सूचित करने की अपेक्षा की गई थी कि क्या मृतक के परिजनों को कोई राहत दी गई थी?

संबंधित अधिकारियों से जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड सामग्री के आधार पर, आयोग ने मुख्य सचिव को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया था कि पीड़ित के परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

अधिकारी टाल रहे थे जिम्मेदारी

हालांकि, संबंधित अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रार का एक पत्र भेजा था, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में विश्वविद्यालय को अनुपालन करने के लिए कोई निर्देश नहीं है।

अपने नोटिस पर अधिकारियों की प्रतिक्रिया का हवाला देते हुए, इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय की ओर से मानवाधिकारों के उल्लंघन या मानवाधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही का कोई आयोग नहीं है।

आयोग ने कहा कि अधिकारी स्पष्ट रूप से मामले में जिम्मेदारी टाल रहे थे। इसलिए, यह देखा गया कि लोक सेवक द्वारा लापरवाही और उकसावे के कार्य के कारण प्राधिकरण द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को आदेश से उत्पन्न होने वाले लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए 7.5 लाख रुपये की राहत राशि, जैसा कि इसके कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इसे पीड़ित के परिजनों को भुगतान किया जाना चाहिए।

यूपी के ध्यानार्थ:::: कुत्ते के हमले मामले में 7.5 लाख देने की सिफारिश

https://www.msn.com/hi-in/news/other/%E0%A4%AF%E0%A5%82%E0%A4%AA-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%A7%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%A8-%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A5-%E0%A4%95%E0%A5%81%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%A4%E0%A5%87-%E0%A4%95%E0%A5%87-%E0%A4%B9%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE-%E0%A4%AE%E0%A4%B2%E0%A5%87-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-7-5-%E0%A4%B2-%E0%A4%96-%E0%A4%A6%E0%A5%87%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%95-%E0%A4%B8-%E0%A4%AB-%E0%A4%B0-%E0%A4%B6/ar-AA1o6gQp

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में आवारा कुत्तों के हमले की घटना में अधिकारियों की 'लापरवाही की बात सामने आई है। कुत्तों के हमले में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। आयोग ने मृतक के परिजन को 7.5 लाख रुपये राहत राशि के तौर पर देने की सिफारिश की है।

पिछले साल अप्रैल में सफदर अली खान एएमयू परिसर के अंदर एक पार्क में सुबह की सैर पर थे तभी आवारा कुत्तों के एक झुंड ने उनपर हमला कर दिया था। इस हमले में उनकी मौत हो गई थी। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर सार्वजनिक हुआ था। आयोग ने बयान में कहा कि एनएचआरसी ने पिछले साल आवारा कुत्तों के हमले के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पाई है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि वह खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये दे। इसके साथ ही आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने इस घटना पर 17 अप्रैल 2023 की मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और अलीगढ़ नगर निगम आयुक्त को नोटिस जारी किया था।

कुत्तों के हमले में डॉक्टर की मौत: मानवाधिकार आयोग हुआ सख्त, पीड़ित परिवार को साढ़े सात लाख देने की सिफारिश

https://www.amarujala.com/uttar-pradesh/aligarh/doctor-dies-in-dog-attack-in-amu-2024-05-03

घटना 16 अप्रैल 2023 की सुबह हुई थी। मेडिकल रोड निवासी यूनीसेफ से सेवानिवृत्त डॉक्टर सफदर अली खान (65) टहलने गए थे। इसी दौरान एएमयू कैंपस में कुत्तों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और नोंच-नोंच कर मौत के घाट उतार दिया। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में कुत्तों के हमले में बुजुर्ग सेवानिवृत्त डॉक्टर की मौत पर **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही पर टिप्पणी की है। साथ में पीड़ित परिवार को साढ़े सात लाख रुपये मुआवजे की संस्तुति कर आठ सप्ताह में अनुपालन आख्या मांगी है।

यह घटना पिछले वर्ष 16 अप्रैल की सुबह हुई थी। तब मेडिकल रोड निवासी यूनीसेफ से सेवानिवृत्त डॉक्टर सफदर अली खान (65) टहलने गए थे। इसी दौरान एएमयू कैंपस में कुत्तों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और नोच-नोचकर मौत के घाट उतार दिया। घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसके कुछ दिन बाद ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने प्रकरण में स्वत: संज्ञान लेकर घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। साथ में प्रदेश के मुख्य सचिव, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति और अलीगढ़ नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार से यह सूचित करने की अपेक्षा की गई थी कि क्या मृतक के निकटतम संबंधी को कोई राहत दी गई है या नहीं।

इसके जवाब में संबंधित अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रार का एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में ऐसा कोई निर्देश नहीं है, जिसका विश्वविद्यालय को पालन करना चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से मानव अधिकारों के उल्लंघन या मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही का कोई कार्य नहीं है। अब आयोग ने जारी बयान में कहा है कि संबंधित अधिकारी स्पष्ट रूप से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी टाल रहे थे। इसलिए, यह देखा गया कि लोक सेवक द्वारा लापरवाही और उकसावे के कार्य के कारण प्राधिकरण द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को आयोग की सिफारिश से भुगतान किए जाने वाले लाभों से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

अत: आयोग ने 7.5 लाख रुपये की राहत राशि की पुष्टि की है। जैसा कि आयोग के कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इसे मृतक के निकटतम रिश्तेदार को भुगतान किया जाना चाहिए। इस संबंध में आयोग ने 3 मई को बयान जारी किया है। जिसमें प्रदेश के मुख्य सचिव के माध्यम से कहा है कि सफदर अली खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाए। साथ में आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण की अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी गई है।

AMU Dog Attack Case: NHRC Recommends Relief Of Rs 7.5 Lakh For Victim's Kin

https://www.jaisalmernews.com/news/national/amu-dog-attack-case-nhrc-recommends-relief-of-rs-7-5-lakh-for-victims-kin-236091/

National Human Rights Commission today recommended the Uttar Pradesh government to pay 7.5 lakh rupees to the kin of the person who was mauled to death by stray dogs in the Aligarh Muslim University campus in April last year. The Commission said that it found negligence of the authorities in the matter. NHRC further asked the authorities to submit a compliance report as proof of payment within eight weeks. The Commission noted that the concerned authorities were apparently passing the buck in the matter.

NHRC ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आवारा कुत्तों के हमले में एक व्यक्ति की मौत के मामले में अधिकारियों की लापरवाही पाई; मृतक के परिजनों को 7.5 लाख की सिफारिश की

https://insamachar.com/nhrc-finds-negligence-of-authorities-in-case-of-death-of-one-person-in-stray-dog-attack-at-aligarh-muslim-university-7-5-lakhs-recommended-to-the-relatives-of-the-deceased/

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (NHRC) ने उत्तर प्रदेश सरकार से उनके मुख्य सचिव के माध्यम से कहा है कि सफदर अली खान के परिजनों को 7.5 लाख रुपये का भुगतान किया जाए, जिन्हें पिछले साल अप्रैल में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर में हिंसक आवारा कुत्तों ने मार डाला था। आठ सप्ताह के भीतर भुगतान के प्रमाण की अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी गई है।

आयोग ने घटना के बारे में 17 अप्रैल, 2023 की एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया था और मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कुलपति, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तथा आयुक्त, अलीगढ़ नगर निगम को नोटिस जारी कर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार से यह सूचित करने की अपेक्षा की गई थी कि क्या मृतक के निकटतम परिजनों (एनओके) को कोई राहत दी गई थी।

संबंधित अधिकारियों से जवाब में प्राप्त रिकॉर्ड सामग्री के आधार पर, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा था कि मृतक के परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में 7.5 लाख रुपये का भुगतान करने की सिफारिश क्यों नहीं की जाए। हालाँकि, संबंधित अधिकारियों ने एएमयू के रजिस्ट्रार का एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि आयोग के नोटिस में ऐसा कोई निर्देश नहीं है जिसका विश्वविद्यालय को पालन करना चाहिए। विश्वविद्यालय की ओर से मानव अधिकारों के उल्लंघन या मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम में लापरवाही का कोई कार्य नहीं है।

आयोग ने कहा कि संबंधित अधिकारी स्पष्ट रूप से इस मामले में अपनी जिम्मेदारी टाल रहे थे। इसलिए, यह देखा गया कि लोक सेवक द्वारा लापरवाही और उकसावे के कार्य के कारण प्राधिकरण द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के पीड़ितों को आयोग की सिफारिश से भुगतान किए जाने वाले लाभों से इनकार नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, आयोग ने 7.5 लाख रुपये की राहत राशि की पुष्टि की, जैसा कि आयोग के कारण बताओ नोटिस में उल्लेख किया गया है कि इसे मृतक के निकटतम रिश्तेदार को भुगतान किया जाना चाहिए।

यह याद किया जा सकता है कि 65 वर्षीय सफदर अली खान पर गली के कुत्तों के झुंड ने उस समय हमला कर दिया था जब वह सुबह की सैर के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर के अंदर एक पार्क में थे। इस घटना की खूब चर्चा हुई और इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था।

PIONEER, Lucknow, 4.5.2024
Page No. 2, Size:(12.22)cms X (14.34)cms.

NHRC finds 'negligence' in AMU stray dog incident

PNS ■ LUCKNOW

The National Human Rights Commission (NHRC) has found "negligence" by authorities in a stray dog attack incident that took place last year on Aligarh Muslim University campus in which a 65-year-old man was killed. In a statement released on Friday, the NHRC said it has recommended payment of a relief amount of Rs 7.5 lakh to the next of kin of the victim. Safdar Ali Khan was mauled to death by a pack of street dogs when he was out on a morning walk in a park on the AMU campus in April last year. The incident was widely reported and a video of it also went viral on social media.

The NHRC "finds negligence of the authorities" in last year's stray dog attack resulting in the death of a person on the AMU campus in Uttar Pradesh, the rights panel stated in a statement.

The NHRC has asked the UP government, through its chief secretary, to pay Rs7.5 lakh to the next of kin of Khan.

A compliance report with proof of payment has also been sought within eight weeks, according to the NHRC statement.

The NHRC had registered a case suo motu based on a media report dated April 17, 2023 about the incident and issued notices to the UP chief secretary, vice-chancellor of Aligarh Muslim University, and the commissioner of Aligarh Municipal Corporation, seeking a detailed report on the incident.

Based on the material on record, the NHRC had issued a notice to the chief secretary to show cause why Rs 7.5 lakh should not be recommended to be paid as monetary relief to the next of kin of the victim.

However, the authorities concerned forwarded a letter from the AMU registrar stating that the NHRC notice "does not contain any instruction the university must comply with."

"There is no commission of violation of human rights or negligence in the prevention of violation of human rights and abetment on the part of the university," the authorities had stated in response to NHRC notice.

The NHRC noted that the authorities were "apparently passing the buck in the matter".

The NHRC observed that the benefits arising from the order could not be denied to the victims of a violation of human rights by the authority due to an act of negligence and abetment by the public servant.

It confirmed the amount of relief of Rs 7.5 lakh as mentioned in the show cause notice, recommending that it has to be paid to the victim's next of kin.

NAV-BHARAT, Mumbai, 4.5.2024
Page No. 4, Size:(10.89)cms X (7.20)cms.

मानवाधिकार आयोग की निष्पक्षता कठघरे में

मोदी कार्यकाल में दूसरी बार NHRC पर संदेह

■ दिल्ली, विशेष प्रतिनिधि. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) इस सप्ताह जिनेवा में एक बैठक में सरकार की मानवाधिकार प्रक्रियाओं का बचाव करने की तैयारी कर रहा है. वहां इस बात पर निर्णय होने की उम्मीद है कि भारत का मानवाधिकार निकाय अपनी 'ए' श्रेणी रखेगा या नहीं. एनएचआरसी की संरचना प्रक्रिया, मानवाधिकार जांच में पुलिस कर्मियों की उपस्थिति, लिंग और अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व की कमी पर चिंताओं के कारण 2023 में एनएचआरसी की रेटिंग रोक दी गई थी. एनएचआरसी की रेटिंग संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और कुछ यूएनजीए निकायों में मतदान करने की भारत की क्षमता को प्रभावित करेगी.

डाउनग्रेडिंग से पड़ेगा नकारात्मक प्रभाव : आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता प्राप्त ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस (जीएएनएचआरआई) की मान्यता पर उप-समिति (एससीए) की बैठक होने वाली है. इस 114 सदस्यीय गठबंधन के प्रत्येक सदस्य के लिए रेटिंग तय की जाती है, जो उसके मानवाधिकार रिपोर्ट कार्ड और संस्था की संरचना पर निर्भर करती है. इसकी महत्ता को समझते हुए एनएचआरसी के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा ने पिछले साल भारत पर एससीए की बैठक के लिए जिनेवा की यात्रा की थी. विदेश मंत्रालय ने राजनयिक चैनलों के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए समीक्षा प्रक्रिया में शामिल विभिन्न देशों से संपर्क किया है.

हितों का टकराव और पुलिस की भागीदारी : यह दूसरी बार है जब मोदी सरकार को संभावित लिस्टिंग डाउनग्रेड का सामना करना पड़ रहा है. 1999 में मान्यता प्राप्त होने के बाद से भारत ने 2006 और 2011 में अपनी ए रैंकिंग बरकरार रखी थी, जबकि 2016 में इसकी स्थिति डाउनग्रेड कर दी गई थी, जिसे एक साल बाद फिर बहाल कर दिया गया था. मार्च 2023 में एससीए द्वारा छह सूत्री प्रस्तुति के अनुसार एनएचआरसी सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र रूप से काम करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने में विफल रहा है. समिति ने अपनी जांच प्रक्रिया में पुलिस अधिकारियों की भागीदारी के लिए भारत की आलोचना की थी और इसे हितों का टकराव कहा था.

बहुलतावाद और लिंग प्रतिनिधित्व की कमी

एससीए ने बहुलतावाद और लिंग प्रतिनिधित्व की कमी का भी हवाला दिया, क्योंकि एनएचआरसी के शीर्ष निकाय में केवल एक महिला थी, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की एक संस्थागत पदेन प्रतिनिधि थी. इसके बाद दिसंबर 2023 में एनएचआरसी ने एक अन्य महिला विजया भारती सयानी को नियुक्त किया था. एससीए ने यह भी बताया था कि समिति की संरचना में समाज की विविधता को दर्शाया जाना चाहिए. एससीए का कहना था कि एनएचआरसी में भारत के सबसे बड़े अल्पसंख्यक धर्मों का प्रतिनिधित्व न के बराबर है. इसके अलावा अधिकांश यानी 10 में से पांच सदस्य भाजपा या आरएसएस से संबंधित हैं, जिनमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष किशोर मकवाना शामिल हैं, जो गुजरात में भाजपा के प्रवक्ता थे; राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य, जो मध्य प्रदेश से भाजपा विधायक थे; अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और पूर्व भाजपा सांसद हंसराज अहीर; और प्रियांक कानूनगो, अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो भाजपा और आरएसएस के सदस्य रहे हैं.